प्रेस नोट,
दिनांक 31.01.2024

अधिवर्षता सेवा पूर्ण करने वाले 04 पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत–

गोण्डा। आज दिनांक 31.01.2024 को जनपद गोण्डा में नियुक्त उ0नि0ना0पु0 श्री अवधेश कुमार तिवारी, एफ0एस0एस0ओ0 श्री रामचरित्र तिवारी, उ0नि0स0पु0 श्री अनिरूद्ध सिंह, नि0 गोपनीय श्रीमती उम्मे सलमा की पुलिस सेवा में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत के अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन सभागार में उन्हें फूलमाला पहनाकर, अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तकें भेट कर विदाई दी तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।

इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, आर0आई0 गोण्डा श्री राकेश कुमार सिंह व अन्य पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट,</u>

<u>दिनांक 31.01.2024</u>

<u>शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत पुलिस कार्यालय प्रांगण में बने नवनिर्मित जनपदीय मिशन शक्ति कक्ष का हुआ लोकार्पण–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 31.01.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत बलरामपुर फाउण्डेशन के सौजन्य से पुलिस कार्यालय प्रांगण में बने नवनिर्मित जनपदीय मिशन शक्ति कक्ष का लोकार्पण किया गया। महोदय की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा नवनिर्मित मिशन शक्ति कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। महोदय द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा गया कि मिशन शक्ति कक्ष में प्रतिदिन महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेंगी जो पीड़ित महिलाओं को साइबर एवं अन्य महिला उत्पीड़न एवं उनके अधिकार व महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बने कानूनों की जानकारी प्रदान किया करेंगी तथा महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2024, थाना मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लडकी के साथ छेडछाड करने व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–35/2024, धारा 354, 506 भादवि, मु0अ0सं0–37/2024, धारा 504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रफीक को ग्राम अमवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 30.01.2024 को ग्राम अमवा थाना को0 मनकापुर की रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित सूचना दी गयी कि उनके ही गांव के रहने वाले रफीक नाम के लड़ने ने उसके साथ खेत में जाते समय छेड़खानी की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 शिवकुमार यादव को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्त रफीक को आज दिनांक 31.01.2023 को ग्राम अमवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रफीक पुत्र शफी मोहम्मद नि0 ग्राम अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–35/2024, धारा 354, 506 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–37/2024, धारा 504,506 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 शिव कुमार यादव।
02. का0 आकाश कुमार।

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2024, थाना मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–612/23, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों–01. सूरज, 02. श्रीमती गुलाबा उर्फ ज्ञानमती को ग्राम वीरपुर मछली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.12.2023 को वादी रामबली दास पुत्र रामजीवन दास नि0 प्रजापति रामजानकी मंदिर धर्मकांटा जनपद अयोध्या द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक 29.05.2023 को ग्राम वीरपुर मछली गांव के रहने वाले सूरज से की गयी थी। उनकी पुत्री को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना को0 मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी मनकापुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों–01. सूरज, 02. श्रीमती गुलाबा उर्फ ज्ञानमती को आज दिनांक 31.01.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सूरज पुत्र स्व0 रंगई प्रजापति नि0 वीरपुर मछलीगांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. श्रीमती गुलाबा उर्फ ज्ञानमती पत्नी स्व0 रंगई प्रजापति नि0 वीरपुर मछलीगांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0सं0–612/23, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार।
02. हे0का0 अमर सिंह।
03. म0का0 लक्ष्मी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.01.2024,</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 व थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10 वर्ष का कारावास व रूपए 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व रु0 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना छपिया पुलिस ने गैरइरादन हत्या करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों-01. मुक्तनाथ, 02. दूधनाथ, 03. रामजीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 छपिया के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गोण्डा कोर्ट ने आजीवन कारावास व रू 1,00,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. मुक्तनाथ पुत्र रामजीत नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. दूधनाथ पुत्र रामजीत नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. रामजीत पुत्र स्व0 रामआधार नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-217/2013, धारा 304,323,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।